निर्णय अज अदालत अभिलाषा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

निर्णय दिनांक 03.09.2020

मु.नं0 655/13

1. नन्दलाल उर्फ नन्दराम पुत्र सुरजाराम जाति जाटान निवासी स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)
2. सत्यवीर सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाटान निवासी स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)
3. श्रीमती पतासी बेवा पुत्र सुरजाराम जाति जाटान निवासी स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)

--वादीगण

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र टेकचन्द दत्तक पुत्र जीताराम जाति जाटान पेशा खेती निवासी स्वामी सेही, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. श्रीमती मनोहरी बेवा जीताराम जाति जाटान पेशा खेती निवासी स्वामी सेही, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. श्रीमती मनी पुत्री जीताराम पत्नी धर्मचन्द जाति जाटान पेशा खेती निवासी बामनवास, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
4. श्रीमती सरोज पुत्री जीताराम पत्नी रमेश जाति जाटान पेशा खेती निवासी बामनवास, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. श्रीमती सुशीला पुत्री जीताराम पत्नी महीपाल जाति जाटान पेशा खेती निवासी बामनवास, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
6. श्रीमती बीरमति पुत्री जीताराम पत्नी धर्मपाल जाति जाटान पेशा खेती निवासी बामनवास, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
7. श्रीमती शीला पुत्री जीताराम पत्नी सुमेर सिंह जाति जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं।
8. रणधीर पुत्र टेकचन्द जाति जाटान पेशा खेती निवासी स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
9. हवासिंह पुत्र टेकचन्द जाति जाटान पेशा खेती निवासी स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
10. दयानन्द पुत्र टेकचन्द जाति जाटान पेशा खेती निवासी स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
11. बलवानसिंह पुत्र हस्तीराम जाति जाट निवासी झामरी तहसील मातनहेल जिला झज्झर (हरियाणा)
12. प्रबन्धक. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा चिड़ावा जिला झुंझुनूं।
13. राजस्थान राज्य सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
14. बनवारी पुत्र स्व0 मातूराम जाति नाई निवासी स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
15. मिश्रो पत्नी स्व0 गोकुलराम जाति नाई निवासी स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
16. अमरसिंह पुत्र स्व. गोकुलराम जाति नाई निवासीगण स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
17. जगदीश पुत्र स्व. गोकुलराम जाति नाई निवासीगण स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
18. धर्मपाल पुत्र स्व. गोकुलराम जाति नाई निवासीगण स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
19. भरतपाल पुत्र स्व. गोकुलराम जाति नाई निवासीगण स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
20. मु. सन्तोष पुत्र स्व. गोकुलराम जाति नाई निवासीगण स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:52:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

21. मु. बिमला पुत्र स्व. गोकुलराम जाति नाई निवासीगण स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
22. रामानन्द पुत्र स्व. हनुमान जाति नाई निवासीगण स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
23. हरदेवसिंह पुत्र स्व. हनुमान जाति नाई निवासीगण स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
24. विधाधर पुत्र स्व. हनुमान जाति नाई निवासीगण स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
25. रामौतार पुत्र सीताराम जाति नाई निवासीगण स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
26. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिड़ावा जिला झुंझुनूं।
27. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चिड़ावा जिला झुंझुनूं।
28. मु. पतासी पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी डांडमा तहसील-चरखी दादरी जिला भिवानी (हरियाणा)

------प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगण–श्री धर्मपाल सिंह
प्रतिवादीगण –श्री ओमप्रकाश डांगी

वाद घोषणा, खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा–

निर्णय

उक्त उनवानी दावा वादीगण की ओर से उनके वकील ने पेश किया। संक्षेप में तथ्यवाद पत्र इस प्रकार है कि ग्राम स्वामी सेही की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 244 की 20 बीघा 14 विश्वा, गत खसरा नम्बर 245 की 18 बीघा 1 विश्वा कुल रकबा 38 बीघा 15 विश्वा खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के दादा /ससूर लालचन्द था, जिसका देहान्त सन् 1968 में हुआ और तदोपरांत उक्त स्व. लालचन्द के वारिसान ने उसके तीन पुत्र सूरजाराम, टेकचन्द व जीताराम हुए जिनके हक में उक्त अराजियात का इन्तकाल नम्बर 98 सम्वत् 2029 से 2032 की जमाबन्दी में दर्ज रजिस्टर हुआ और उक्त तीनो भाई सूरजाराम, टेकचन्द व जीताराम उक्त अराजियात के खातेदार काश्तकार हुए। उक्त गत खसरा नम्बर के नये भू–प्रबन्धक अभियान के दौरान नये खसरा नम्बरान 194 की 3.51हैक्टर, खसरा नम्बर-195 की 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 196 की 3.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 201 की 2.82 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 9. 81 हैक्टर के नये नामान्तरण दर्ज हो गए। वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता व वादीनी संख्या 3 के पति सूरजाराम का देहान्त सितम्बर 1996 में हुआ, जिस पर वादीगण संख्या 1,2,3 उक्त सूरजाराम के उचित उत्तराधिकारी है और वादग्रस्त अराजियात क 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हुए। दुसरे, टेकचन्द का देहान्त सन् 2003 में हुआ, जिस पर इसके वारिसान में प्रतिवादी संख्या 8,9,10 [illegible] हुए और उक्त [illegible] आराजियात वर्णित धारा 1 वाद पत्र के 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हुए।
तिसरे, उक्त लालचन्द के तिसरे [illegible] हो गया, जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 [illegible] उसकी पुत्रियां उसकी उचित उत्तराधिकारी हुए। उक्त [illegible] 1 धर्मपाल को भी गोद लिया हुआ था। जो कि उक्त जीताराम के हक व हिस्से की [illegible] पर काश्त व काबिज है। प्रतिवादीनी संख्या 2 लगायत 7 ने वादग्रस्त आराजियात में से खसरा नम्बर 196 की 3.47 हैक्टर में से 2/3 हिस्से की व खसरा नम्बर 195 0.01 हैक्टर में से 1/3 हिस्से की भूमि का गत 18.06.2017 को एक विक्रय पत्र वहक प्रतिवादी संख्या-11 बलवानसिंह के उप–पंजीयक कार्यालय में सत्यापित करवा दिया।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:32:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विवादित आराजियात में भू-प्रबन्ध के दौरान ख0नं0 201 के पश्चिम दक्षिण कोने नये ख0नं0 202 की 0.10है0 ख0नं0 203 की 0.16है0, ख0नं0 419/203 की 0.10 है0 कुल 0.36 है0 जो बनवारी पुत्र मातूराम, रामचन्द्र, हरदेवाराम, विधाधर पुत्रगण हनुमान रामौवतार पुत्र सीताराम, मिश्री देवी पत्नी गोकुलराम, अमरसिंह, जगदीश, धर्मपाल, भरतपाल, संतोष, बिमला, पिसरान, गोकुलराम कौम नाई निवासी स्वामी सेही इन सब के उक्त तीनों खसरा नम्बरान की आराजियात नये भू-प्रबन्ध अभियान के दौरान राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से दर्ज कर दी गई जबकी उन्हे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। दूसरा उक्त तीनो खसरा नम्बरान 202, 203, 419/203 पर कब्जा वास्तविक वादीगण का है। इसलिए उक्त नाई बिरादरों के खातेदारी के नाम उक्त नये खसरा नम्बरान 202, 203, 419/203 को वादीगण की खातेदारी की घोषित इनके कब्जे, काश्त के आधार पर जानी आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 धर्मपाल ने प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 व वादीगण के स्व0 पिता सूरजाराम व अपने जायन्दा पिता टेकचन्द के खिलाफ एक दावा उनवानी धर्मपाल के नाम मु0 मनोहरी देवी वगैरत में अपने को स्व0 जीताराम का दत्तक पुत्र मान किया जो दिनांक 02.07.2001 को डिकी हुआ जिसमें भी वादग्रस्त आराजियात का वादीगण के पिता/पति स्व. सूरजाराम का प्रतिवादीगण 8 लगायत 10 के स्व. पिता टेकचन्द का भी प्रत्येक का 1/3 हिस्सा माना जिस पर वे काबिज है। विवादित भूमि का अभी तक विधिवत खाता विभाजन नहीं हुआ बाहरी तौर पर आपस में कांटकर काश्त व काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 को भूमि खसरा नम्बर 196 की 3.47 है0 में से 2/3 हिस्सा व खसरा नम्बर 195 की 0.01 है0 गैरमुमकिन चाह की 1/3 हिस्से बिना विधिवत खाता विभाजन करवाये ही प्रतिवादी संख्या 11 को विक्रय कर दिया जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल संख्या 253 भी अपने हक में सत्यापित करवा लिया जो वादीगण के खातेदारी के अधिकारों के खिलाफ प्रभावहीन व शुन्य है उक्त इन्तकाल बाबत वादीगण को सुना भी नहीं गया तथा ना ही सूचंना दी गई उक्त आराजियात में से वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 201 में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हिस्सा 1/3 इन्तकाल संख्या 129 के द्वारा दर्ज करवा लिया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादीगण को उक्त खसरा नम्बर 201 की 2.82है0 के साथ लगती पूर्व की तरफ भूमि खसरा नं0 196 की में से रकबा 0.45है0 विधिवत खाता विभाजन करवाकर वादीगण की खातेदारी में घोषित की जानी आवश्यक है।

वादग्रस्त आराजियात में पूर्व साईड की भूमि हाल खसरा नं0 194 की में 3.27 है0 भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1, 8, 9 व 10 स्व0 टेंकचन्द के वारिसान की और इसके पश्चिम में खसरा नम्बर 196 की 3.27है0 भूमि प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 वगैरह स्व0 जीताराम के वारिसान के हक व हिस्से की है और इसके पश्चिम के साथ लगती तिसरे हिस्से की आराजियात वादीगण के हक व हिस्से की 3.27है0 है जिसमें वादीगण अपना अलग से चाह निर्मित कर इसमें विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है और इसी हिस्से में वादीगण आबाद है। यहां ग्रह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि उक्त खसरा नम्बर 195 की 0.01है0 गैरमुमकिन चाह में भी वादीगण का हिस्सा 1/3 है0 व उक्त स्व. जीताराम व टेकचन्द के वारीसान का भी हक व हिस्सा 1/3 प्रत्येक का शामिल में है।

वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीगण बिना विधिवत खाता विभाजन करवाये अवैद्य रूप से विक्रय कर खुर्द बुर्द करने की फिराक में है, इसलिए वादग्रस्त आराजियात वर्णित धारा 1 की खातेदारी की दुरूस्ती व खाता विभाजन विधिवत करवाने के लिए और प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 द्वारा गत 18.06.2007 [illegible] प्रतिवादी संख्या [illegible] के हक में विक्रय करवाने के रोज कारण वाद न्यायालय श्रीमान में पैदा [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 वादग्रस्त आराजियात को बि[illegible] वादीगण के हक व हिस्से की भूमि काश्त न करने [illegible] कारण वाद पैद्रा हुआ। यह वाद राजस्थान [illegible] 53, 188 के तहत पेश किया। दावा, घोषणा एवं खाता विभाजन का है, जिसके लि[illegible] कोई मियाद मुकरर नहीं है। दावा अन्दरमियाद है।

दावा पेश करने निवेदन किया है कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी पारित किया जावें कि वादग्रस्त आराजियात गत खसरा नम्बर 244 की 20 बीघा 14 विश्वा, गत खसरा नम्बर 245 की 18 बीघा 1 विश्वा कुल 38 बीघा 15 विश्वा हाल खसरा नम्बर 194 की 3.51है0, खसरा नम्बर 195 की 0.01है0, गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 196 की 3.47है0, खसरा नम्बर 201 की 2.82है0, खसरा नम्बर 202 की 0.10है0, खसरा नम्बर 203 की

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:52:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

0.16है0, खसरा नम्बर 419/203 की 0.10है0 कुल 10.17 है0 मौजा स्वामी सेही तहसील सूरजगढ में वादीगण की पश्चिम की और की भूमि खसरा नम्बर 201 की 2082 है0 व इसके साथ लगती हुई खसरा नम्बर 196 की 0.01है0 व उक्त खसरा नम्बर 201 के पश्चिम की साथ लगती हुई खसरा नम्बर 202 की 0.10है0 खसरा नम्बर 203 की 0.16है0 व खसरा नम्बर 419/203 की 0.10 है0 भूमि तीसरे हक व हिस्से की वादीगण की खुद काश्त खातेदारी की घोषित की जावें और इसी अनुसार वादग्रस्त आराजियात का खाता विभाजन किया जावें तथा खसरा नम्बर 195 की 0.01है0 गैर मुमकिन चाह में भी वादीगण का हिस्सा 1/3 पूर्ववत बरकरार रखा जावे और वादग्रस्त आराजियात के प्रसंग के इन्तकाल संख्या 129 दिनांक 22.03.2003 व विकय पत्र बहक प्रतिवादी संख्या 11 बलवान सिंह दिनांक 18.06.2007 व उक्त कथित विकय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तरण संख्या 253 बाबत खसरा नम्बर 196 चालू जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2065 को भी वादीगण के खातेदारी अधिकारों के खिलाफ प्रभावहीन व शुन्य घोषित किया जावें।

वादीगण के हक व हिस्से 1/3की भूमि खसरा नम्बर 201 की 2.82है0 व इसके साथ लगती हुई पूर्व की तरफ की भूमि खसरा नम्बर 196 की 3.47 है0 मे से पश्चिम की और की 0.21है0 कुल 3.39है0 व खसरा नम्बर 195 की 0.01है0 गैर मुमकिन चाह में हिस्सा 1/3के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ना करने के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें तथा प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड की भी यथास्थिति बनाये रखे जाने की भी डिकी पारित की जावें। विकल्प में यदि तादौरान मुकदमा प्रतिवादीगण वादीगण के हक व हिस्सा 1/3 की भूमि पर जबरन कब्जा कर लेने या प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जावें तो वादीगण का दखल वापसी करवाया जावें। अन्य सीधी जो चाहे जाने से रह गयी हो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के तहत दिलवायी जावें।

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरियै समन्न नकल दावा भेजकर तारिख की सूचना दी गई। प्रतिवादीगण 2 लगायत 6,9,11,12 व 13 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।प्रतिवादीगण 1,7,8 व 10 ने जरिये वकील वाद के तथ्यों से. इनकार करते हुये जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी नम्बर 1 ने कांउटर क्लेम पेश किया। इसके अलावा शेष प्रतिवादीगण भी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होन पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।प्रतिवादीगण 1,8,9 व 10 की ओर से जवाबदावा पेश किया जिसमें तथ्य इस प्रकार अंकित किये है कि वादीगण नम्बर 1 लगायत 2 के पिता एवं 3 के पति सूरजाराम परिवार में सबसे बड़े थे। इस कारण स्व0 सूरजाराम स्व0 जीताराम व स्व0 टेकचन्द से अपने पिता लालचन्द के जीवनकाल में ही आज से करीबन 60 वर्ष पूर्व ही पारिवारिक मौखिक बंटवारा कर गत ख0नं0 244 की पश्चिमी दिशा की तरफ की 11 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता भूमि हक व हिस्से एवं बंटवारे में लेकर दोनों भाईयों स्व0 जीताराम व टेकचन्द से अलग हो गये थें। तथा स्व0 टेकचन्द स्व0 जीताराम शामिल में रहे एवं शामिल में ही काश्त करते रहे तथा स्व0 जीताराम एव स्व0 टेकचन्द आज से 90 वर्ष पूर्व अलग अलग हो गये थें। एवं टेकचन्द व जीतराम अलग अलग हुए तब जीताराम ने गत खं0नं0 244 की पूर्व दिशा की शेष 9 बीघा 11 बिश्वा पुख्ता भूमि एवं गत खसरा नम्बर 245 की 4 बीघा 4 बिश्वा इसके साथ लगती हुई भूमि हक हिस्से एवं बटवारे में आई तथा टेकचन्द के शेष बची इसी ख0नं0 245 की शेष बची इसी ख0नं0 245 की शेष बची 13 बीघा 17 बिश्वा पुख्ता भूमि हक हिस्से बंटवारे में आई तथा दोनों जीताराम व टेकचन्द ने अपने अपनी सीम में पुख्ता कुआ बनवाया जिसमें इसी प्रकार तीनों भाई मौके पर [illegible] लगान अदा करते रहे। इसी कारण नये बन्दोबस्त में मौके पर हक हिस्से एवं [illegible] सार नये ख0नं0 पड़े। स्व0 जीताराम के पुत्र सन्तान नहीं [illegible] अपने जीवन काल मे जब प्रतिवादी नं0 1 धर्मपाल को [illegible] से गोद लिया गोद दिया (गिविंग एण्ड टेकिंग सरमनी) हिन्दू रिति रिवाज सहित गोद लिया। जिसका रजिस्टर्ड गोद पत्र दिनांक 27.11.1976 को प्रतिवादी नं0 1 के हक [illegible] जीबद्व करवाया तथा सूरजाराम जीताराम व टेकचन्द के स्वर्गवास के बाद में इनके वारिसान को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई मौके पर इसी प्रकार पक्षकारान काश्त करते है काबिज है लगान अदा करते है।

वादीगण नं0 1 व 2 के पिता एवं 3 के पति सूरजाराम अपने दोनों भाईयों जीताराम व टेकचन्द से आज के करीबन 60 वर्ष पुर्व पारिवारिक मौखिक बंटवारा कर अलग हो गया था

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:52:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...ए बन्दोबस्त में खेत ख0नं0 201 में आया है। तथा वादपत्र की धारा 2 में प्रतिवादी ... को टेकचन्द का वारिसान दर्ज किया है जबकि प्रतिवादीगण नं1 स्व0 जीताराम ने प्रतिवादी नं0 1 को जब से गोद लिया उसी समय से ... पुत्र है तथा जीताराम के घर रह रहा है। प्रतिवादी नं0 1 की पारिवारिक एवं शादी भी ... नं0 1 जीताराम ने ही की तथा जीताराम के स्वर्गवास के बाद जीताराम का दत्तक ... पिता जीताराम ... नं0 1 को उतराधिकार मे प्राप्त हुई। जीताराम के हक हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी नं0 1 काबिज है। कास्त करता आ रहा है। प्रतिवादी नं0 2 लगायत 7 का ख0न0 ... नं0 1 ... भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है तथा ख0न0 195 जो गै0मु0 कुआ है ... की 3.47 है0 ... 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं0 8 लगायत 10 का है ... कुए में विधुत पम्प सेट लगा हुआ है जिसमें प्रतिवादी नं0 1 एवं प्रतिवादी नं0 8 लगायत 10 अपने हिस्से की भूमि को सिंचाई कर कास्तकार अपनी आजिविका अर्जित करते है। प्रतिवादी नं0 2 लगायत 7 ने विक्रय पत्र ख0न0 196 की 2/3 हिस्से के एवं ख0न0 195 की 1/3 हिस्से की भूमि का एक विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2007 को प्रतिवादी संख्या 11 बलवान सिंह के हक में गलत विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया है। जो कि प्रतिवादी नं0 1 एवं 8 लगायत 10 के हक हिस्से एवं खातेदारी हक अधिकारों पर बेअसर है। प्रतिवादी नं0 1 धर्मपाल द्वारा अपने दत्तक पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 एवं अपने जायन्दा पिता टेकचन्द के विरूद्ध दावा उनवानी धर्मपाल बनाम मनोहरी मु0न0 166/88, 15/97 जो कि दिनांक 02.07.2001 को निर्णय व डिक्री हुआ। जिसके मुताबिक प्रतिवादी नं0 2 लगायत 7 का उक्त विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी न0 2 लगायत 7 ने कोई अपील भी नहीं की है तथा इस निर्णय एवं डिक्री एवं इंतकाल का वादीगण को उसी समय से जानकारी होते हुए भी कहीं चैलेंज नहीं किया है। प्रतिवादीगण 2 लगायत 7 ने दिनांक 18.06.2007 को वादग्रस्त आराजी ख0न0 196 की 2/3 हिस्से की भूमी एवं ख0न0 195 की 1/3 हिस्से की भूमि विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 11 के हक में गलत एवं अवैध रूप से पंजीकृत करवाया है। जबकि प्रतिवादी नं0 2 लगायत 7 का ख0न0 196 एवं 195 की भूमि पर कोई कब्जा कास्त नहीं होने से उक्त विक्रय पत्र आधारहीन सारहीन होने से प्रतिवादी नं0 1 के खातेदारी हक अधिकार पर बेअसर है। तथा इस आधार पर जो इंतकाल न 253 दर्ज हुआ वह भी प्रतिवादी नं0 1 के हक अधिकारों पर बेअसर है। वादीगण ने ख0न0 196 में से 0.45 है0 भूमि पूर्व दिशा की भूमि विभाजन करवाना दर्ज किया है। जबकि वादीगण के पिता स्व0 सुरजा राम आजु से करीबन 60 वर्ष पूर्व अलग हो गये थें, जो मौखिक परिवारिक बटवारें में जवाब दावा की धारा 1 में वर्णित अनुसार बटवारा होने से अब बंटवारा करवाने के अधिकार नहीं है।

वादीगण 1 व 2 के पिता एवं 3 के पति स्व0 सूरजाराम द्वारा अपने पिता लालचन्द के जीवनकाल में आज से करीबन 60 वर्ष पूर्व कर लिया था अब वादीगण द्वारा बंटवारा नहीं करवा सकते तथा खं0नं0 195 में वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है इस कारण वादीगण प्रतिवादी नं01 एवं 8 व 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करा सकते । दावा वादीगण नया खर्चा खारिज फरमाया जावें। अपने अतिरिक्त उत्तर में दर्ज किया कि वादीगण के पिता स्व सूरजाराम का स्वर्गवास 1996 में हुआ जिसके वादीगण के अलावा सात पुत्रियां किताबों, सदाकौर, छिन्नों, बाई, भतेरी, राजकौर, बिमला वारिसान है जो कि इस वाद में आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी नं0 1 ने उनवानी धर्मपाल बनाम मनोहरी मु0नं0 166/88, 15/97 दिनांक 07.02.2001 को न्यायालय साक्ष्यहिक कलेक्टर (मु0) झुंझुनूं द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित हो चुकी है। इस कारणं यह ... प्रतिवादी नं0 1 की ओर से काउन्टर क्लेम भी पेश किया है जिसको डिक्री फरमाये ... निवेदन किया।

वादीगण की ओर से जवाब दावे ... जिसमें कथन किया कि स्व0 सूरजाराम की 7 पुत्रियों द्वारा ... वादीगण के हक में छोड़ रखी है। जिसका उन्होंने ... प्रतिवादी संख्या 1 धर्मपाल द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 166/88, 15/97 के निर्णय एवं डिक्री में वादीगण के पिता स्व0 सूरजाराम का हक व हिस्सा वादग्रस्त आराजियात में 1/3 माना है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी नं. 1 छावा प्रतिवादीगण का जवाब दावा व काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावें। प्रतिवादीगण का जवाब दावा व काउन्टर क्लेम देरी करने के दूगसय से प्रस्तुत किया है। सभी धाराओं को काउन्टर क्लेम प्रकरण में देरी करने के दूगसय से प्रस्तुत किया है। सभी धाराओं को अस्वीकार करते हुये काउन्टर क्लेम खारिज करने का निवेदन किया।

दावा एवं जवाबदावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई –

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:32:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तनकी संख्या 1

आया वादग्रस्त भूमि ख0नं0 194 की 3.51 है, ख0नं0 195 की 0.01है0, गैर मुमकिन चाह, ख0नं0 196 की 3.47है0, ख0नं0 201 की 2.82है0, ख0नं0 202 की 0.10है0, ख0नं0 203 की 0.16है0, ख0नं0 4/9/203 की 0.10है0 कुल 10.17 है0 गत ख0नं0 244 की 20 बीघा 14 बिस्वा गत ख0नं0 245 की 18 बीघा एक बिश्वा कुल 38 बीघा 15 बिश्वा मौजा स्वामी सेही तहसील सूरजगढ़ में वादीगण की पश्चिम की ओर की भूमि ख0नं0 419/203 की 0.10है0, ख0नं0 202 की 0.10है0, ख0नं0 203 की 0.16है, ख0नं0 201 की 2.82है0 व इसके साथ लगती पूर्व की ओर की भूमि ख0नं0 196 रकबा 0.21है0 कुल 3.39है0 भूमि वादीगण के एक बहिस्सा 1/3 की खुद काश्त खातेदारी की घोषित की जावें, तथा इसी प्रसंग में इन्तकाल संख्या 129 दिनांक 22.03.2003 व विक्रय पत्र बहक प्रतिवादी संख्या 11 बलवानसिंह दिनांक 18.06.2007 व इसके आधार पर कथित इन्तकाल संख्या 253 बाबत ख0नं0 196 की जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2065 को वादीगण के खातेदारी हको के खिलाफ प्रभावहीन व शुन्य घोषित किया जावें और वादीगण के हक व हिस्सा 1/3 ख0नं0 195 की 0.01है0 गैरमुमकिन चाह में भी पूर्ववत बरकरार रखा जावें और वादीगण के हक व हिस्सा 1/3 की इसी अनुसार विधिवत खाता विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के किये जाने की डिक्री भी पारित की जावें ?

वादीगण 1

तनकी संख्या 2

आया वादीगण के हक व हिस्सा 1/3 की ख0नं0 419/203 की 0.10है0, ख0नं0 202 की 0.10है0, ख0नं0 203 की 0.16है0, ख0नं0 201 की 2.82है0 व इसके साथ लगती पूर्व की ओर की भूमि खं0नं0 196 रकबा 0.21है. कुल 3.39 है0 भूमि गै0मु0 कुआ में हिस्सा 1/3 के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ना करने के लिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें और राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की डिक्री भी पारित की जावें ?

वादीगण –1

तनकी संख्या 3

आया वादीगण को कोई कारण वाद पत्र नहीं होता ?

–प्रतिवादीगण सं0 1,8,9,10

तनकी संख्या 4

अनुतोष –?

वादीगण ने अपने दावा के कथन की पुष्टि में दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 प्रदर्श–1, सम्वत 2062 से 2062 प्रदर्श – 2, नकल नक्शा प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2049–2052 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी सम्वत 2049–2052 प्रदर्श–6, नकल जमाबन्दी सम्वत 2053 से 2056 प्रदर्श–7, सम्वत 2053–2056 प्रदर्श–8, सम्वत 2057–2060 प्रदर्श–9, न[illegible]रण प्रदर्श–10, नकल जमाबन्दी 2057 से 2060 प्रदर्श–11, सम्वत 2025 से [illegible] प्रदर्श[illegible] सम्वत 2029–2032 प्रदर्श–13, नकल निर्णय सहायक कलेक्टर प्रदर्श–14, सम्वत [illegible] से 2068 प्रदर्श–16, सम्वत 2065 से 2068 प्रदर्श–17, सम्वत 2065 से 2068 प्र[illegible]8, सम्वत 2065 से 2068 प्रदर्श–19, सम्वत 2062 से 2065 प्रदर्श–23, नकल विक्रय पत्र प्रदर्श–20, नकल जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 प्रदर्श–21, सम्वत् 2065 से 2068 प्र[illegible]2, नकल दावा प्रदर्श–22, नकल नक्शा प्रदर्श–23, नकल बयान धर्मपाल प्रदर्श–24, नकल गोद पत्र निरस्त करने प्रदर्श–25। पेश किये। इसके अलावा मौखिक साक्ष्य में गवाह नन्दलाल PW-1, सत्यवीर DW-2, के बयान कलम बन्द करवाये ।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा के कथन की पुष्टि में दस्तावेजी साक्ष्य नकल निर्णय दिनांक 02.07.2001 प्रदर्श A-1, नकल डिक्री प्रदर्श A-2 , नकल जमाबन्दी सम्वत 2065 से

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:52:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

-2068 प्रदर्श A-3, सम्वत 2061 से 2064 प्रदर्श A-4, सम्वत वर्ष 2005 प्रदर्श A-5, नकल नामान्तकरण प्रदर्श A-6, नकल नक्शा प्रदर्श A-7, नकल जमाबन्दी सम्वत 2044 प्रदर्श A-8, नकल नक्शा प्रदश A-9, सम्वत 2044 प्रदर्श A-12, सम्वत 2046 प्रदर्श A-13, सम्वत 2057 से 2060 प्रदर्श A-14, पेश किए। इसके अलावा मौखिक साक्ष्य में गवाह धर्मपाल DW-1 हवासिंह DW-2, के बयान कलम बन्द करवाये।

इसके पश्चात् बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण का तर्क है कि विवादित आराजियात पक्षकारान की पैतृक सम्पति है। पक्षकारान का मूल पुरूष लालचन्द था जिसका देहान्त हो गया उसके तीन पुत्र सुरजाराम, टेकचन्द व जीताराम हुये। विवादित आराजियात लालचन्द की खातेदारी काश्त की भूमि थी जिसके देहान्त होने पर उसके तीनो पुत्र खातेदार काश्तकार हुये। तीनों का 1/3,1/3 हिस्सा है। तीनों पुत्रों का देहान्त हो चुका उसके हक हिस्से की भूमि उनके आराधिकारी पक्षकारान को उत्तराधिकार में प्राप्त हुए। जीताराम ने प्रतिवादी संख्या 1 धर्मपाल को गोद ले लिया जो जीताराम के हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 ने वादग्रस्त आराजियात में से खसरा नं0 196 में से 2/3 हिस्से की व खसरा नं0 195 में से 1/3 हिस्सें की भूमि प्रतिवादी संख्या 11 को विक्रय कर दिया। दौरानें सैटलमेन्ट भूमि खसरा नं. 201 के दक्षिण पश्चिम कोने में नये खसरा नं. 202, 203 और 409/203 बनवारी वगै0 नाईयों के नाम गलती से दर्ज कर दी जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई अधिकार नंही था। उक्त भूमि पर वास्तविक कब्जा वादीगण का इसलिए नाईयों की खातेदारी हजफ कर वादीगण की खातेदारी को घोषित की जावें। प्रतिवादी धर्मपाल ने एक उनवानी दावा प्रतिवादी 2 लगायत 7 व वादीगण के स्व0 पिता सूरजाराम व अपने पिता जायन्दा टेकचन्द के खिलाफ अपने आप को जीताराम के दत्तक पुत्र मानकर पेश किया जिसमें वादीगण के पिता सूरजाराम का 1/3 हिस्सा माना है। प्रतिवादी धर्मपाल ने सहायक कलक्टर (मु0) के निर्णय की आड़ में वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं0 201 में अपना हिस्सा 1/3 दर्ज करवा लिया जो दुरूस्त किया जावें। खातेदारी में गलत प्रविष्टी दर्ज होने से किसी के खातेदारी अधिकार खत्म नहीं हो सकते। विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दावा डिक्री फरमाया जावें। दौराने बहस अदालत का ध्यान न्यायायिक दृष्टान्त 1965 आर.आर.डी. 13, 1965 आर.आर.डी. 393 (डी.बी.), 1965 आर.आर.डी. 1995, 1965 आर.आर.डी. 342(ई), 1992 डी.एन.जे. (एस.सी.) 166 की ओर दिलाया। काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण का तर्क है कि स्व0 लालचन्द के परिवार में सूरजाराम सबसे बड़ा पुत्र था जिसकी शादि करने के पांच वर्ष बाद में सुरजाराम अपने पिता के जीवन काल में ही अपने परिवार से गत खसरा नं0 244 में से 9 बीघा 11 बिस्वा पुख्ता भूमि खसरा नं. 245 के साथ लगती हुई भूमि को छोड़कर 11 बीघा 3 बिस्वा उख्ता भूमि अपना हक हिस्सा बंटवा कर अलग हो गया था। दावा दायरी के बाद में प्रतिवादी नं. 1, 8, 9,10 की ओर से जवाब दावा के नाम 18.10.2007 को पेश किया तथा प्रतिवादी नं. 1 धर्मपाल की ओर से जवाब दावा के साथ दिनांक 18.10.2007 को काउन्टर क्लेम भी पेश किया। जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम में उक्त वाद में वर्णित बंटवारा करवाने का पुरजोर विरोद्व एवं तथ्य दर्ज किये गये है कि वादीगण के पिता स्व. सुरजाराम ने जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम में दर्ज किया है कि सुरजाराम आज से करीब 40 वर्ष पूर्व अलग हो गया था, जवाब दावा 2007 में पेश किया गया है । इस प्रकार आंज से करीबन 60 वर्ष पूर्व सुरजाराम अपने भाईयो से स्वेच्छा से अलग हो गया था। सुरजाराम के अलग होने के बाद में सुरजाराम के दोनों छोटे भाई टेकचन्द और जीताराम शामिल में [illegible] के बाद वे भी अपने-2 हक हिस्से की जमीन का बंटवारा कर दोनों भाई भी अलग हो गये [illegible] खसरा नं. 245 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा पुख्ता एवं खसरा नं. 244 [illegible] कुल 27 बीघा 12 बिस्वा पुख्ता भूमि टेकचन्द एवं जीताराम के हक हिस्से [illegible] बंटवारे की भूमि रही तथा दोनो के बंटवारा करने पर खसरा नं. 245 में 18 बीघा 1 बिस्वा भूमि उत्तर दिशा की तरफ में एक पुख्ता कुआ दोनो भाईयों ने मिलकर बनवाया जिसमें सुरजाराम का कोई हक हिस्सा किसी प्रकार से नहीं है तथा उक्त कुऐ में विद्युत कनेक्शन दोनो भाईयों ने अपने नाम से लिया। पूर्व वाद धर्मपाल बनाम मनोहरी मु0 नं0 166/88,15/97 दिनांक 02.07.2001 को डिकी हो चुका है। इसलिये दावा वादीगण खारिज कर काउन्टर क्लेम प्रतिवादी नं0 1 डिकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:32:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner

...या जावें। अपने लिखित बहस में अदालत का ध्यान न्यायायिक दृष्टांत डीएनजे पेज 85, 102 आर.बी.जे. (8) 2001 पेज 105, डीएनजे 2017 पेज 800 की ओर दिलाया। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार कियां जाता है :–

<u>तनकी न0 1.</u>

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण का है, जमांबन्दी सम्वत् 2025 से 2028, सम्वत् 2029 से 2032 में विवादित भूमि गत खसरा न0 244,245 वाके मौजा स्वामी सेही की खातेदारी लालचन्द पुत्र जिसुख के नाम दर्ज हैं। जिसका देहान्त होने पर उसके पुत्र सुरजराम, टेकचन्द व जीताराम को हिस्सा बराबर उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। जीताराम ने प्रतिवादी संख्या 1 धर्मपाल को गोद ले लिया जो जीताराम के हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 ने वादग्रस्त आराजिया तमे से खसरा न0 196 में से 2/3 हिस्से की व खसरा न0 195 मे से 1/3 हिस्से की-भूमि प्रतिवादी संख्या 11 को विक्रय कर दिया। दौराने सेटलमेन्ट भूमि खसरा न0 201 के दक्षिण–पश्चिम कोने में नए खसरा न0 202,203 और 419/203 बनवारी वगैरह नाईयों के नाम गलती से दर्ज कर दी जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त भूमि पर वास्तविक कब्जा वादीगण का इसलिए नाईयों की खातेदारी हजफ कर वादीगण की खातेदारी की घोषित की जावे। प्रतिवादी धर्मपाल ने एक उनवानी दावा प्रतिवादी 2 लगायत 7 व वादीगण के स्व0 पिता सुरजाराम व अपने पिता जायन्दा टेकचन्द के खिलाफ अपने आप को जीताराम के दत्तक पुत्र मानकर पेश किया जिसमें वादीगण के पिता सुरजाराम का 1/3 हिस्सा माना है, प्रतिवादी धर्मपाल ने भी अपने पूर्व वाद में वादीगण के पिता स्व0 सुरजाराम का विवादित आराजियात में 1/3 हिस्सा माना है। अधिवक्ता प्रतिवादी धर्मपाल यह तर्क की पूर्व वाद का निर्णय होने से वादीगण दूसरा दावा पेश नही कर सकते परन्तु वादीगण द्वारा इसका उल्लेख अपने दावा मे कर चुके। खातेदारी में गलत परिविष्टि दर्ज होने से किसी के खातेदारी अधिकार खत्म नही हो सकते। वादीगण विवादित आराजिया तमे 1/3 हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

विवादित भूमि खसरा न0 194 की 3.51 है0, खसरा न0 195 की 0.01 है0 गैरमुमकीन चाह, खसरा न 196 की 3.47 है0, खसरा न0 201 की 2.82 है0, खसरा न0 202 की 0.10 है0, खसरा न0 203 की 0.16 है0, खसरा न0 419/203 की 0.1 है0 कुल 10.17 है0 वाके मोजा स्वामीसेही में वाद़ीगण की पश्चिम की और की खसरा न0 419/203 की 0.10 है, खसरा न0 202 की 0.10 है0,, खसरा न0 203 की 0.16 है0, खसरा न0 201 की 2.82 है0 व इसके साथ लगती पूर्व की और की भूमि खसरा न0 196 रकबा 0.21 है कुल रकबा 3.39 है0। वादीगण के हिस्सा 1/3 की खुद की काश्त खातेदारी की घोषित करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण के हक व हिस्सा 1/3 खसरा न0 195 की 0.01 है0 गैर–मुमकीन चाह में पूर्ववत यथावत रखा जाता है। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के हक में निर्णीत की जाती हैं।

<u>तनकी न0 2.</u>

उक्त तनकी का साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 1 वादीगण के हक में निर्णित होने से वादीगण के हक व हिस्सा 1/3 की खसरा न0 419/203 की 0.10 है, खसरा न0 202 की 0.10 है0, खसरा न0 203 की 0.16 है0, खसरा न0 201 की 2.82 है0 व इसके साथ लगती पूर्व की और की भूमि खसरा न0 196 रकबा 0.21 है0 कुल 3.39 है0 भूमि गै0मू0 कुआ में हिस्सा 1/3 के उपयोग उपभोग व कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करने. के लिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए र[illegible] के हक में निर्णित होने से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने [illegible]

<u>तनकी न0 3.</u>

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी[illegible]9,10 पर है। वादीगण ने अपने वाद में कारणवाद स्पष्ट रूप से अंकित कर रखा है। अतः [illegible] तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:52:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तनकी न0 4.

उपरोक्त तन्कियात के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए वाद वादीगण डिकी किया जाता है। काउन्टर क्लेम प्रतिवादी न0 1 खारिज किया जाता हैं।

आदेश

अतः वाद वादीगण डिकी किया जाकर भूमि खसरा न0 194, 195, 196,201,202, 203, 419/203 की 0.10 है0, खसरा न0 202 की 0.10 है0, खसरा न0 203 की 0.16 है0, खसरा न0 201 की 2.82 है0 व इसके साथ लगती पूर्व की और लगती खसरा न0 196 रकबा 0.21 है0 कुल रकबा 3.39 है0 वादीगण के एक बहिस्सा 1/3 की खद काश्त खातेदारी घोषित की जाती है। वादीगण के हक व हिस्सा 1/3 खसरा न0 195 की 0.01 है0 गैरमुमकिन चाह में पूर्ववत बरकरार रखा जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ना करे।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:52:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner